उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 210/2016 /2000 /71-1-2016-जी-131/2015
लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2016
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरूद्ध प्रवक्ता, **सामान्य मेडिसिन** की विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-253/15/डी0आर0/सेवा-8/2014-15, दिनॉक 19-07-2016 एवं पत्र संख्या-253(1)/15/डी0आर0/सेवा-8/2014-15, दिनॉक 31-08-2016 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 20 अभ्यर्थियों को वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 6000/- में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) संबंधित अभ्यर्थी को प्रवक्ता के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

(2) संबधित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियो को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र।

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

3- अभ्यर्थी संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त ही संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाएगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 210/2016 /2000 (1)/71-1-2016- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करे।
4- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, जालौन, सहारनपुर, आजमगढ़, आगरा, अम्बेडकरनगर, बॉदा, कन्नौज, कानपुर, बदायूँ, गोरखपुर ।
5- कोषाधिकारी,/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन, सहारनपुर, आजमगढ़, आगरा, अम्बेडकरनगर, बॉदा, कन्नौज, कानपुर, बदायूँ, गोरखपुर।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जालौन, सहारनपुर, आजमगढ़, आगरा, अम्बेडकरनगर, बॉदा, कन्नौज, कानपुर, बदायूँ, गोरखपुर ।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद-आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, एटा, कानपुर नगर, मथुरा, फतेहपुर, गौतमबुद्ध नगर, सीतापुर, प्रतापगढ़, कानपुर देहात, हाथरस, सुल्तानपुर, फैजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे संबंधित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करके स्वास्थ्य परीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध करायें।
8- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप संख्या-210/2016 /2000 /71-1-2016-जी-131/2015,

दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम तथा अनुक्रमांक	पता/ गृह जनपद	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहॉ तैनाती की गयी है।
1	डा0 सौरभ नागर (अनु0-52020641923)	28/216, गोकुलपुरा, राजामण्डी, आगरा, उ0प्र0 282002	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन ।
2	डा0 जावेद अख्तर (अनु0-52020683956)	म0 नं0-363/28, 8/29, हसनगंज, बावली, सहादतगंज, लखनऊ, उ0प्र0।	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर ।
3	डा0 सौम्या गुप्ता (अनु0-52050283869)	म0 नं0-676, मो0 चकसा, हुसैन, गोरखपुर, उ0प्र0 273001	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ ।
4	डा0 प्रेम कुमार (अनु0-52030183482)	441/608, रस्तोगी नगर, बालागंज, लखनऊ, उ0प्र0 226003	राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा ।
5	डा0 शोभित शाक्य (अनु0-52050090524)	ग्राम गनी, अलीगंज, एटा, उ0प्र0।	राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा।
6	डा0 रंजीत कुमार निम (अनु0-52030179744)	म0 नं0-8/1 53, बी0 1ए, न्यू आबादी, कौशलपुरा, आगरा, उ0प्र0 282005	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
7	डा0 प्रवीण शुक्ला (अनु0-52020836549)	म0 नं0-1396, वाई- ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर, उ0प्र0। 208011	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन ।
8	डा0 हरिमोहन चौधरी (अनु0-52050151621)	ग्रा0 सहदगढ़ी पो0 हसनपुर, मथुरा , उ0प्र0।	राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा ।
9	डा0 संतोष कुमार (अनु0-52030106711)	ग्रा0 पो0- रमवा, फतेहपुर, उ0प्र0। 212601	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन ।
10	डा0 सतीश कुमार (अनु0-52030062222)	ग्रा0- सैदुल्लापुर, पो0 बैदपुरा, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0। 203207	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
11	डा0 अम्बुज यादव (अनु0-52050200006)	म0 नं0 183, घुरामऊ, बंगला, सीतापुर, उ0प्र0। 261001	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12	डा0 सुनील कुमार (अनु0-52050422316)	04 रोहित इन्क्लेव राजपुर , आगरा, उ0प्र0 282001	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ ।
13	डा0 दया राम (अनु0-52050406309)	ग्रा0 व पो0- आसपुर, देवसरा, प्रतापगढ़, उ0प्र0 230124	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन ।
14	डा0 मेधावी गौतम (अनु0-52030231664)	27 ए0 , न्य मानक नगर, लखनऊ, उ0प्र0 226011	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ ।
15	डा0 राजकुमार वर्मा (अनु0-52030060321)	म0 नं0- 501, मातागली, होली गेट, मथुरा, उ0प्र0। 281001	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा ।
16	डा0 आदित्य कुमार (अनु0-52050265951)	म0 नं0- 10111/75, ग्राम अल्लाहपुर, भोगनीपुर, कानपुर देहात, उ0प्र0। 209112	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर ।
17	डा0 सियाराम सिंह (अनु0-52030108515)	ग्रा0 मोहरिया, पो0 ससनी, हाथरस, 204216	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर ।
18	डा0 सुधीर यादव (अनु0-52050208229)	ग्रा0 मालापुर, पो0 कादीपुर, सुल्तानपुर, उ0प्र0 228145	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर ।
19	डा0 राजीव कुमार गुप्ता (अनु0-52020603215)	7/10/28 सरयूनगर, कालोनी, देवकली, फैजाबाद, 224001	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर ।
20	डा0 जितेन्द्र कुमार दोनेरिया (अनु0-52030177968)	808, से0-5, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा, उ0प्र0 282007	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा ।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।